

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लार्निंग रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर
क्रमांक : एफ 9(4)उ.मै.छा./सान्याअवि/पोर्टल/सरलीकरण/2018-19/सान्याअवि/

दिनांक : 24/06/19

आदेश

36821

उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सवाई माधोपुर के पत्रांक 7534 दिनांक 24.05.2019 द्वारा अवगत कराया गया कि कतिपय विद्यार्थियों द्वारा ई-मित्र के माध्यम से छात्रवृत्ति योजनाओं में फर्जी आवेदन कर दिये गये हैं। ऐसे आवेदन पत्र सिद्धानिया यूनिवर्सिटी, झुन्झुनु से डिम्ड फारवर्ड होकर विभिन्न स्वीकृतकर्ता अधिकारियों को प्राप्त हुए हैं जो स्वीकृतकर्ता अधिकारी के स्तर से भी स्वतः स्वीकृत हो गये हैं।


अतः सिद्धानिया यूनिवर्सिटी, झुन्झुनु द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों में की जा रही अनियमितता के मद्देनजर सिद्धानिया यूनिवर्सिटी, झुन्झुनु को छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्टेड किया जाता है एवं सिद्धानिया यूनिवर्सिटी के समस्त विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों को अग्रिम आदेशों तक होल्ड पर रखा जाता है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि ऐसी निजी शिक्षण संस्थाओं की जानकारी होने पर इन्हें छात्रवृत्ति पोर्टल से ब्लैक लिस्टेड करने की अनुशंसा करते हुए निदेशालय को प्रकरण भिजवावें।


(सांवरमल प्रमो)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 9(4)उ.मै.छा./सान्याअवि/पोर्टल/सरलीकरण/2018-19/सान्याअवि/ 36822-61 दिनांक : 24/06/19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
4. वरिष्ठ प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राज.जयपुर।
5. सिस्टम एनालिस्ट (JD) मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित को ई-मेल करवाने हेतु।
6. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
7. उप/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, (समस्त)।


अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)